अध्याय 5: वित्तीय प्रबंधन

5.1 निधियन एव लागत-हिस्सेदारी

इं.आ.यो. का वित्त-पोषण भारत सरकार (भा.स.) एवं राज्य सरकारों के मध्य 75:25 के अनुपात में लागत-हिस्सेदारी के आधार पर होता है। तथापि, उत्तर-पूर्वी राज्यों के मामले में, इसके वित्त पोषण का अनुपात 90:10 है। जबकी संघ शासित क्षेत्रों में, पूरी निधि भा.स. द्वारा दी जाती है।

इं.आ.यो. के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता राज्यों/सं.शा.क्षे. के मध्य 2001 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण आवास कमी को 75 प्रतिशत प्राथमिकता देते हुए एवं 25 प्रतिशत प्राथमिकता राज्य/सं.शा.क्षे. के योजना आयोग द्वारा 2004-05 में निर्धारित गरीबी अनुपात को देते हुए आबंटित की जाती है।

किसी राज्य/सं.शा.क्षे. के अंदर अंतर्जिला आबंटन 2001 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण आवास की कमी को 75 प्रतिशत प्राथमिकता देते हुए और संबंधित जिले के ग्रामीण अ.जा./अ.ज.जा. जनसंख्या को 25 प्रतिशत प्राथमिकता देते हुए किया जाएगा। ब्लॉकों के अंदर किसी जिला एवं ग्राम पंचायतों हेतु वित्तीय आबंटन इसी सिद्धांत पर निर्धारित किये जाएंगे।

हमने देखा कि पूरे **असम** में, ब्लॉकों एवं ग्रा.पं. केा निधियों के आबंटन हेतु उपरोक्त वर्णित सिद्धांतों का पालन 2008-13 के दौरान नहीं किया गया था।

केरल में, चयनित चार जिलों में से तीन (अलप्पुझा, तिरूवनंतपुरम एवं वयनद) की गरीबी उन्मूलन इकाईयों (ग.उ.इ.) ने ब्लॉक पंचायतों को निधियों के आबंटन हेतु सिद्धांत का पालन नहीं किया था। जिलों की ग.उ.इ. ने, जिले के ग्रामीण अ.जा./अ.ज.जा. जनसंख्या को 25 प्रतिशत प्राथमिकता नहीं दी थी। बेघर परिवारों और अ.जा./अ.ज.जा. के आधार पर निधियो को आबंटित करने की बजाय तिरूवनंतपुरम के ग.उ.इ. ने निधि का आबंटन कुल जनसंख्या को प्राथमिकता देते हुए किया था, और वयनद के ग.उ.इ. ने निधि का आबंटन 2009-10 तक 2002 के ग.रे.नी. सूची में शामिल किये गये

ग.रे.नी. परिवारों की कुल संख्या के आधार पर किया। 2009-10 से, निधि आबंटन एलमकुलम मनक्कल संकरन आवास योजना सूची के अनुसार बेघर परिवारों की कुल संख्या के आधार पर किया गया था। इं.आ.यो. दिशानिर्देशों में संसाधनों के आबंटन हेतु परिकल्पित मानदण्ड से अलग मानदण्ड अपनाने के कारण, जिले में कुछ ब्लॉक पंचायतों ने अपनी हकदारी से अधिक निधियां प्राप्त की थीं, जबकि दूसरों को कम राशि प्राप्त हुई। जहॉ 14 ब्लॉक पंचायतों में निधियों का अतिरिक्त आबंटन ₹7.20 लाख एवं ₹117.00 लाख के मध्य था, वहीं निधियों का कम आंबंटन ₹3.15 लाख एवं ₹193.50 लाख के मध्य था।

पंजाब के तीन चयनित जिलों (पटियाला, एस.ए.एस. नगर एवं तरन तारन) में, इं.आ.यो. दिशानिर्देशो में निर्धारित मानदण्ड का पालन ब्लॉकों के निधियों के अंतरण के समय नहीं किया गया था क्योंकि घरों की कमी से संबंधित कोई डाटा डी.आर.डी.ए./जि.पं. के पास 2008-13 हेतु मौजूद नहीं था।

5.2 अ.जा./अ.ज.जा./अल्पसंख्यक लाभार्थियों के लिए निधियों को चिन्हित करना और उपयोग में लाना

इं.आ.यो. दिशानिर्देशों के पैरा 1.5 के अनुसार, उपलब्ध संसाधनों को जिलों में निम्नानुसार विभिन्न श्रेणियों हेतु चिन्हित करना था:

i. कुल निधियों और भौतिक लक्ष्यों का कम से कम 60 प्रतिशत, अ.जा./अ.ज.जा. ग.रे.नी. परिवारों के लिए रिहायशी इकाइयों के निर्माण/उन्नयन हेतु उपयोग में लाया जाए।

ii. राज्यों/डी.आर.डी.ए. वर्ष हेतु अपने वित्तीय/भौतिक लक्ष्यों का 15 प्रतिशत जिला से पंचायत स्तर के अल्पसंख्यकों[1] के लिए चिन्हित करें।

---

[1] योग्य अल्पसंख्यक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 धारा 2 (घ) के अंतर्गत अनुसूचित-मुस्लिम, इसाई, सिख, बौद्ध एवं पारसी किये गये थे। तथापि, जिन राज्यों में अल्पसंख्यक बहुसंख्या में है, केवल दूसरी अल्पसंख्यक जनसंख्या को ही अल्पसंख्यक माना जाता है। जम्मू एवं कश्मीर में मुस्लिम, पंजाब में सिख, और मेघालय, मिजोरम तथा नागालैण्ड में इसाइयों की संबधित राज्यों में अल्पसंख्यक नही माना जाता है।

यदि कोई विशेष श्रेणी किसी जिले में समाप्त हो जाए या उपलब्ध न हो, आबंटन को किसी अन्य श्रेणी हेतु इं.आ.यो. दिशानिर्देशों में दी गयी प्राथमिकता के अनुसार, संबंधित जिला परिषद/डी.आर.डी.ए. द्वारा इस आशय का प्रमाणीकरन करने जाने के पश्चात उपयोग में लाया जाना था।

मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत जिला-वार वित्तीय प्रदर्शन की विवरणी के अनुसार, अ.जा., अ.ज.जा. एवं अल्पसंख्यक लाभार्थियों के लिए निधियों का उपयोग 2008-13 के दौरान निर्धारित सीमा से कम था जिसका विवरण निम्न तालिका-7 में दिया गया है:

तालिका-7 :अ.जा., अ.ज.जा. एवं अल्पसंख्यकों पर व्यय (₹ करोड़ में)

वित्त वर्ष	कुल व्यय	श्रेणीवार व्यय एवं व्यय की प्रतिशतता[2]					
		अ.जा.	अ.ज.जा.	कुल	प्रतिशत	अल्पसंख्यक	प्रतिशत
2008-09	8,348.34	3,512.55	1,418.91	4,931.46	59.07	1,046.85	12.54
2009-10	13,292.46	5,201.30	2,405.18	7,606.48	57.22	1,680.70	12.64
2010-11	13,465.73	4,947.12	2,435.03	7,382.15	54.82	1,692.20	12.57
2011-12	12,926.33	4,306.30	2,464.60	6,770.90	52.38	1,545.94	11.96
2012-13	12,206.83	4,154.54	2,268.24	6,422.78	52.62	1,617.76	13.25
कुल	**60,239.69**	**22,121.81**	**10,991.96**	**33,113.77**	**54.97**	**7,583.45**	**12.59**

जैसाकि उपरोक्त तालिका में देखा जा सकता है, अ.जा. एवं अ.ज.जा. श्रेणियों के अंतर्गत व्यय का प्रतिशत 2008-13 के दौरान 60 प्रतिशत के न्यूनतम स्तर से कम था। अल्पसंख्यकों के लिए भी व्यय की प्रतिशतता 2008-13 हेतु 15 प्रतिशत के कम थी, जैसा चार्ट-8 में दर्शाया गया है।

[2] सिक्किम तथा पुडुचेरी शामिल है।

चार्ट-8 : कुल व्यय में से अ.ज./अ.ज.जा. एवं अल्पसंख्यको पर किए गए व्यय का प्रतिशत

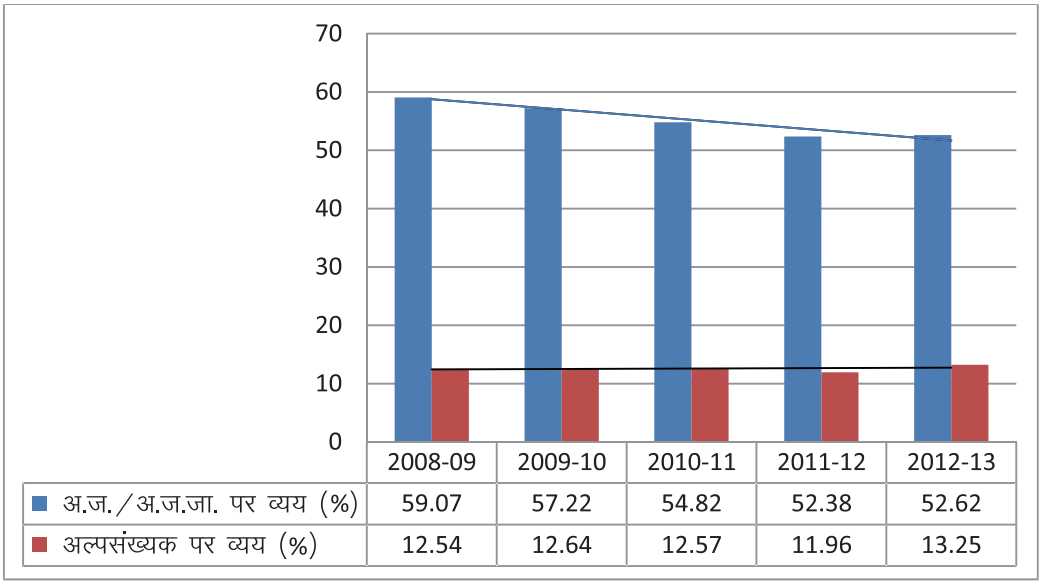

	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
अ.ज./अ.ज.जा. पर व्यय (%)	59.07	57.22	54.82	52.38	52.62
अल्पसंख्यक पर व्यय (%)	12.54	12.64	12.57	11.96	13.25

नवम्बर 2008 में, मंत्रालय ने संबंधित जिला परिषदों/जि.ग्रा.वि.प्रा.को स्पष्ट कर दिया कि किसी राज्य में इं.आ.यो. के घरों का लाभ उठाने के लिए पात्र ग.रे.नी. के अल्पसंख्यक परिवारों के अब नहीं होने की स्थिति में, इस संबंध में एक प्रमाण-पत्र जिला परिषद/जि.ग्रा.वि.प्रा. द्वारा मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाए ताकि राज्य के लक्ष्यों को किसी अन्य राज्य को अंतिरित किया जा सके।

मेघालय में अभिलेखों के लेखापरीक्षा जाँच के दौरान यह देखा गया था कि पूरे 2008-13 के दौरान अल्पसंख्यकों को जारी निधियां सिर्फ 0.50 एवं 6.47 प्रतिशत के ही मध्य थीं। राज्य के सभी जिलों को जारी की गयी ₹241.74 करोड़ की कुल निधि (केन्द्रीय एवं राज्य का भाग) में से, केवल ₹6.09 करोड़ (2.51 प्रतिशत ही अल्पसंख्यकों को 2008-13 के दौरान जिलों द्वारा जारी किए गये थे।

मेघालय के सी.एण्ड आर.डी. विभाग ने बताया (अगस्त 2013) कि एक इसाई बहुल राज्य होने के कारण, राज्य में अल्पसंख्यकों का प्रतिशत एकदम नगण्य था और उनमें से अधिकांश केवल पश्चिमी गारो पहाड़ी जिले में ही बसे हुए थे। इसके अतिरिक्त इसने बताया कि यद्यपि ये संख्या में नगण्य थे, उन्हें

इं.आ.यो. के अंतर्गत सहायता से वंचित नहीं कियागयाथा और उनका लक्ष्य हमेशा बनाये रखा गया था।

उत्तर तथापि यह स्पष्ट नहीं करता कि राज्य ने मंत्रालय के पास निर्धारित प्रमाण-पत्र क्यों नहीं भेजा ताकि राज्य के लक्ष्यों को दूसरे राज्य को अंतरित किया जा सके ।

आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, मिजोरम सरकार द्वारा सांख्यिकी हैण्डबुक मिजोरम 2010 में प्रकाशित जनगणना डाटा 2001 के अनुसार, मिजोरम के आठ जिलों में अल्पसंख्यकों की जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का 13 प्रतिशत था। हमने देखा कि 2008-13 के दौरान, राज्य के किसी जि.ग्रा.वि.प्रा. द्वारा एक भी लाभार्थी का अल्पसंख्यकों में से चयन नहीं किया गया था। अत: राज्य के कुल जनसंख्या के 13 प्रतिशत अल्पसंख्यकों इं.आ.यो. के तहत लाभों से वंचित थे।

पंजाब के छ: चयनित जिलों में से पांच (मुक्तसर, नवां शहर,एस.ए.एस. नगर, पटियाला एवं तरन तारन)में अल्पसंख्यकों को प्रदान किये गये किसी प्रकार के वित्तीय सहायता से संबंधित कोई अभिलेख 2008-13 की अवधि हेतु अनुरक्षित नहीं किया गया था। इस वजह से यह निश्चित नहीं किया जा सकता कि इं.आ.यो. के अंतर्गत लाभ उन्हें दिये गये थे या नहीं।

राजस्थान के भिलवाड़ा, सिकर, करौली, एवं उदयपुर जिलों के जि.पं ने बताया कि इं.आ.यो. प्रतीक्षासूची में अल्पसंख्यकों से संबंधित कोई लंबमानता न थी जबकि राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गयी सूचना के अनुसार जिलों में क्रमश: 46,10,165 एवं 122 अल्पसंख्यकों की लंबमानता थी।

मंत्रालय ने बताया (जून 2014) कि समय के साथ अ.जा./अ.ज.जा. एवं अल्पसंख्यक श्रेणियों के घरों की कमी खत्म हो गयी जो एक शुभ संकेत था।

मंत्रालय का उतर विश्वसनीय नहीं था क्योंकि इसने इन श्रेणियों के समाप्त होने से संबधित कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया था।

5.3 केन्द्रीय आबंटन से कटौती

इं.आ.यो. के दिशानिर्देशों के पैरा 4.2(ii)के अनुसार अथशेष के अतिरिक्त राशि के आगे बढ़ाने पर कटौती (उपलब्ध निधियों के 10 प्रतिशत की अतिरिक्ता में) एवं राज्य के अंश में गिरावट दूसरे किस्त के निर्गम के समय किया जाना था।

2008-09 से 2012-13 के दौरान इस निष्पादन लेखापरीक्षा के अंतर्गत शामिल 27 राज्यों को मंत्रालय द्वारा किये गये निर्गमों से संबंधित सूचना के लेखापरीक्षा जांच और विश्लेषण से प्रकट हुआ कि केन्द्रीय आबंटन से ₹2,451.84 करोड़ की कटौती अतिरिक्त राशि को आगे बढ़ाने (₹1,563,.54 करोड़) राज्य अंश का कम निर्गम (₹251.56 करोड़), प्रस्ताव की देर से प्राप्ति (₹98.85 करोड़) एवं अन्य विविध कारणों (₹537.89 करोड़) से हुई थी। केन्द्रीय अंश से कटौती के प्रति संगत राज्य अंश का योगदान उनके द्वारा किया जाना चाहिए जो ₹810.08 करोड़ बैठता है। राज्य-वार ब्यौरे अनुबंध-5.1 में दिये गये हैं।

इस प्रकार, राज्यों द्वारा निधियों के उपयोग की धीमी गति/कम उपयोग एवं उनके द्वारा संगत अंश का योगदान न होना 7.25 लाख लक्षित लाभार्थियों (@ ₹45,000 प्रतिलाभार्थी) को सहायता नहीं दिये जाने में परिणत हुआ था।

मंत्रालय ने बताया (जून/जुलाई 2014) कि कुछ राज्यों से काटी गयी राशि को वर्ष के अंत में राज्य के ही अंदर के बेहतर प्रदर्शन वाले जिलों को पुन: वितरित कर दिया गया था और इं.आ.यो. निधियों को अभ्यर्पित नही किया गया था और इस प्रकार संपूर्ण लक्ष्यों में कोई कमी नहीं आयी थी क्योंकि लक्ष्य एक जिले से दूसरे में अंतरित हो गये थे। इसके अतिरिक्त मंत्रालय ने बताया कि इन प्रावधानों को बनाने का मूल प्रयोजन यह था कि अधिकतम धनराशियों का उपयोग कर लिया गया था और दूसरी किस्त के लिए प्रस्ताव समय पर प्रस्तुत कर दिया गया था, हालांकि इस प्रावधान को जून 2013 में संशोधित इं.आ.यो दिशानिर्देशों से हटा दिया गया था।

मंत्रालय ने उन जिलों में इं.आ.यो. निधियों के कम खपत के कारणों का विश्लेषण नहीं किया था, जो लक्षित लाभार्थियों को घर प्रदान नहीं कर सके थे। पूरे बजटीय आबंटन का उपयोग मात्र ही इं.आ.यो. का उद्देश्य नहीं था।

5.4 प्रयुक्त निधियों के अधिक बयानी के कारण ₹163.14 करोड़ का अतिरिक्त निर्गम

इं.आ.यो. दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार, यदि अव्ययित शेष पूर्व वर्ष के दौरान उपलब्ध निधियों के 10 प्रतिशत से अधिक हो, अतिरिक्त केन्द्रीय अंश को दूसरी किस्त जारी करते समय अनपातिक रूप से घटाया जाना था। तथापि, मंत्रालय द्वारा इस कटौती को किसीऐसे मामले में छूट दी गयी थी जब कोई जिला संबंधित वित्तीय वर्ष के 31 दिसंबर तक उपलब्ध निधियों के कम से कम 75 प्रतिशत का व्यय सूचित करे।

हमने देखा कि पांच चयनित जिलों असम के बर्पेता, करबी अंगलोंग, नगांव एवं सोनीतपुर तथा महाराष्ट्र के शोलापुर) को 2008-13 के दौरान इं.आ.यो. दिशानिर्देशों के प्रावधान को उल्लंघन करते हुए ₹163.14 करोड़ जारी किया गया था। बर्पेता जिले ने अंत शेष की राशी को कम बताया, करबी अंगलोंग एवं सोनीतपुर जिलों ने निधियों के उपयोग को ब्याज से होने वाली आय को दबाकर अधिक बताया और नगांव जिले ने निधियों को उपयोग को अधिक करके बताया था। शोलापुर जिले ने दो वर्षों में समान व्यय होने का दावा किया। इन अनियमितताओं के ब्यौरे **अनुबंध-5.2** में दिये गये हैं।

5.5 वित्तीय रिपोर्टिंग में असंगति

मंत्रालय के अभिलेखों के अनुसार, 33 राज्यों/सं.शा.क्षे. के संबंध में इं.आ.यो. का केन्द्रीय अंश ₹45,888.43 करोड़ था। 2008-13 के दौरान लेखापरीक्षा में चयनित 31 राज्यों/सं.शा.क्षे. में वित्तीय निष्पादन निम्न तालिका-8 में दी गयी है:

तालिका-8: राज्यों/सं.शा.क्षे. द्वारा वित्तीय निष्पादन की रिपोर्टिंग में असंगति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	निधियों की उपलब्धता एवं राज्यों एवं सं.शा.क्षे. द्वारा व्यय (राज्यों एवं सं.शा.क्षे. द्वारा प्रदत्त सूचना से एकत्रित आंकड़े, 31 राज्य/सं.शा.क्षे.[3])						31 राज्यों/सं.शा.क्षे. से संबंधित मंत्रालय द्वारा प्रदत्त सूचना/आंकड़े		निर्गमों में अंतर	व्यय में अंतर
	अथ शेष	केन्द्रीय निर्गम	राज्य निर्गम	विविध प्राप्तियां	कुल	व्यय	राज्यों एवं सं.शा.क्षे. को निर्गम	व्यय		
2008-09	1824.07	7953.43	2117.33	151.04	12045.87	7907.93	8790.00	8341.24	836.57	433.34
2009-10	4140.25	8498.81	3961.20	308.08	16908.34	12583.77	8627.73	13284.27	128.92	700.47
2010-11	4324.80	9879.55	3823.15	366.03	18393.53	12468.44	10130.93	13452.44	251.38	984.01
2011-12	5925.09	9333.99	3580.52	502.99	19342.59	13588.17	9859.76	12916.09	525.77	(-) 672.10
2012-13	5754.42	8301.63	3569.78	489.11	18114.94	13184.11	7855.55	12201.43	(-) 446.08	(-) 982.67
कुल		**43967.41**	17051.98	1817.25	64660.71	59732.42	45263.97	60195.47	1296.56	463.05

₹64,660.71 करोड़ के निधि की कुल उपलब्धता के प्रति, राज्यों/सं.शा.क्षे. ने ₹59,732.42 करोड़ (92 प्रतिशत) व्यय किया था।

2008-13 के दौरान राज्य/सं.शा.क्षे. वार जारी की गयी एवं व्यय की गयी निधियों के ब्यौरे **अनुबन्ध-5.3.1 से 5.35** में देये गये हैं।

2008-09 से 2011-12 के दौरान, राज्यों एवं सं.शा.क्षे. ने ₹1,742.64 करोड़ से केन्द्रीय अंश की कम प्राप्ति दर्शायी थी जबकि 2012-13 के दौरान उसे ₹446.08 करोड़ की अतिरिक्ता में दर्शाया गया था। इसके प्रभाववश, राज्यों/सं.शा.क्षे. ने 2008-13 के दौरान ₹1,296.**56** करोड़ की कम प्राप्ति दिखायी थी। **असम**, **बिहार**, **छत्तीसगढ़ गुजरात एवं ओडिशा** राज्यों में प्रमुख विविधताएं देखी गयी थीं।राज्य/सं.शा.क्षे. वार ब्यौरे अनु-5.3.6 में दिये गये हैं।

मंत्रालय एवं राज्यों/सं.शा.क्षे. द्वारा दिये गये व्यय के आंकड़े भी अलग थे। तीन वर्षों 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11 तक राजयों/सं.शा.क्षे. द्वारा किये गये व्यय को मंत्रालय द्वारा राज्यों एवं सं.शा.क्षे. के व्यय के आंकड़ों से क्रमश: ₹433.34 करोड़ ₹700.47 करोड़ एवं ₹984.01 करोड़ अधिक बताया गया था, जबकि 2011-12 एवं 2012-13 हेतु, मंत्रालय के व्यय के आंकड़ों राज्यों एवं सं.शा.क्षे. द्वारा दिये गये व्यय के आंकड़ों से क्रमश: ₹672.10

[3] सिक्किम एवं पुडुचेरी को छोड़कर

करोड़ एवं ₹982.67 करोड़ अधिक थे। असम, बिहार, छत्तीसगढ़, जम्मू एवं कश्मीर कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान एवं तमिलनाड़ राज्यों में प्रमुख विविधिताएं देखी गयी थीं। राज्य/सं.शा.क्षे.-वार ब्यौरे अनु.-5.3.7 में दिये गये हैं।

मंत्रालय/राज्य/सं.शा.क्षे. के आंकड़े में शीघ्र सुमेलन की आवश्यकता थी जिसमें संगति का अभाव था, जैसा कि ऊपर ब्यौरा दिया गया है।

5.6 अव्ययित शेषों पर ब्याज का परिकलन न करना

इं.आ.यो. दिशानिर्देशों के पैरा 4.7 के अनुसार, इं.आ.यो. निधियों को किसी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित अथवा सहकारिता बैंक या डाक घर में एक अलग बचत खाते में जि.ग्रा.वि.प्रा. द्वारा रखा जाना था। पैरा 4.8 व्यवस्था करता है कि इं.आ.यो. निधियों के जमा पर अर्जित ब्याज की राशि को इं.आ.यो. संसाधनों के रूप में ही लिया जाए। अत: इं.आ.यो. की जमाओं पर अर्जित ब्याज केा समुचित सूचना मंत्रालय द्वारा निधियों के निर्गम के समय उन्हें परिकलित करने के लिए आवश्यक थी। राज्यों में अभिलेखों की लेखापरीक्षा जॉच से निम्नलिखित बाते प्रकट हुई:

आन्ध्र प्रदेश में, संबंधित जिलों के जि.ग्रा.वि.प्रा. ने भारत सरकार की निधियों को, मंत्रालय के रसीद पर, आन्ध्र प्रदेश राज्य आवास निगम लिमिटेड (आं.प्र.रा.आ.नि.लि.) के संबंधित परियोजना निदेशकों (पं.नि.) को अंतरित कर दिया था जिसने बदले में आं.प्र.रा.आ.नि.लि. के प्रबंध निदेशक को निधियां प्रेषित कर दी जो इं.आ.यो. निधियों के लिए एक अलग केन्द्रीय पूल खाता अनुरक्षित करते थे। इन निधियों को आगे चार शीर्ष बैंक खातों में लाभार्थियों को आगे से वितरण हेतु अतंरित कर दिया गया था। चूंकि ये शीर्ष बैंक खाते इं.आ.यो. के अतिरिक्त राज्य आवास योजना(इंदिराम्मा) हेतु संयुक्त रूप से अनुरक्षित किये जाते थे, भा.स. के हिस्से पर अर्जित ब्याज एवं इं.आ.यो. निधियों के राज्य के मेल खाते हिस्सों को निर्धारित नहीं किया जा सका, इं.आ.यो. निधियों के लिए अलग खातों का अनुरक्षण नहीं करने के कारण। लेखापरीक्षा ने देखा कि आं.प्र.रा.आ.नि.लि. के प्र.नि. द्वारा अनुरक्षित पूल

खाते में उपलब्ध इं.आ.यो. निधियों पर जनवरी 2010 से जनवरी 2013 की अवधि हेतु ब्याज के रूप में अर्जित ₹1.52 करोड़ की राशि को इं.आ.यो. संसाधनों के रूप में नहीं दर्शाया गया था। अर्जित ब्याज की ये राशि आं.प्र.रा.आ.नि.नि.लि. के पूल खाते में जिला कार्यालयों द्वारा अंतरित कर दी गयी थी।

पांच जिलों (कचार, करबी अंगलोंग, करीमगंज, शिवसागर एवं सोनीतपुर);

₹2.68 करोड़ एवं असम के नगांव जिले ने भी ₹36.91 लाख (₹1.06 करोड़ में से) 2008-13 के दौरान इं.आ.यो. खाते में उपलब्ध निधियों पर अर्जित ब्याज को अंतरित नहीं किया था। बिहार के तीन चयनित जिलों (भोजपर, मधुबनी एवं सुपौल) ने ₹3.73 करोड़ का ब्याज अर्जित किया परंतु उसे रोकड़ बहियों में दर्शायानहीं गया था।

झारखंड में, चयनित छ: जिलों[4]के अंतर्गत12 ब्लॉकों और एक जि.ग्रा.वि.प्रा. ने इं.आ.यो. निधियों पर अर्जित कुल ₹1.05 करोड़ के ब्याज को परिकलित नहीं किया था जबकि बैंकों द्वारा उनके पास बुकों में यह राशि नामे कर दी गयी थी। इसके अतिरिक्त, छ: चयनित जिलों के छ: नमूना परीक्षित जि.ग्रा.वि.प्रा. के सनदी लेखाकारों (स.ले.) ने सूचित किया कि जिलों के अंदर 85 ब्लॉकों ने 2008-13 के दौरान ₹555 करोड़ की उपलब्ध निधियों पर ब्याज का परिकलन नहीं किया था। स.ले. ने जि.ग्रा.वि.प्रा. केा ब्लॉकों के विरूद्ध रोकड़ बहियों में क्रमश: प्रत्येक वर्ष अर्जित ब्याजों को शामिल नहीं करने के लिए उचित कार्रवाई करने का सुझाव दिया था तथापि, जि.ग्रा.वि.प्रा. ने न तो ब्लॉकों के विरूद्ध कोई कार्रवाई शुरू की और न ही उनसे बैंक ब्याज को परिकलित नहीं करने के कारणों की मांग की। फलस्वरूप, ब्लॉकों के पास उपलब्ध निधि शेषों पर अर्जित ब्याज की स्थिति से जिले अनभिज्ञ रहे। परिस्थितियों को देखते हुए, सरकारी धन के गलत उपयोग/गबन/दुर्विनियोजन की संभावना से इंकार

[4] देवधर जिले के ब्लॉक मधुपुर ने 2008-13 के दौरान, ब्लॉक घाटशिला (2012-13), पूर्वी सिहंभूमि जिले का ब्लॉक गुरबंदा (2011-13), गोड्डा जिले के ब्लॉक ठकुरगंग्त्री 2008-13 के दौरान पलामू जिले के ब्लॉक चैनपुर, मेदिनीनगर सदर, लेसलीगंज, बिसरामपुर 2008-13 के दौरान, रांची जिले के ब्लॉक नमकोन (2009-10) एवं रातु तथा रांची जि.ग्रा.वि.प्रा. 2008-13 के दौरान

नहीं किया जा सकता। इसके अलावा, ब्याज को परिकलित न करना कमजोर वित्तीय नियंत्रण का संकेतक था।

5.7 बैंक खातों का संचालन

इं.आ.यो. दिशानिर्देशों के पैरा 4.6 के अनुसार, इं.आ.यो. निधियों (केन्द्र के साथ राज्य अंश भी) को किसी राष्ट्रीयकृत/ अनुसूचित बैंक अथवा किसी डाक घर में जि.ग्रा.वि.प्रा. द्वारा एक विशेष अलग बचत खाते में रखना था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि अनेक बैंक खाते (2 से लेकर 20) बिहार, जम्मू एवं कश्मीर, मणिपुर, पंजाब, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश में चयनित जिलों तथाब्लॉकों में इं.आ.यो. निधियों को रखने के लिए परिचालित किये जा रहे थे।

इसके अतिरिक्त, इं.आ.यो. निधियों को अन्य केन्द्रीय योजना निधियों यथा पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि, बारहवें वित्त आयोग आदि के साथ आन्ध्र प्रदेश, बिहार एवं झारखण्ड के चयनित चार जिलों (मंदार, सदर देवधर, घाटशिला, एवं गौरबंदा) में जोड़ दिया गया था)। इं.आ.यो. निधियों के लिए कोई अलग बैंक खाते छत्तीसगढ़ में 13 चयनित ब्लॉकों में से सात में और त्रिपुरा के सभी चयनित ब्लॉकों में खोले नहीं गये थे।

आन्ध्र प्रदेश के करीमनगर जिले में, ₹14.45 करोड़ की इं.आ.यो. निधियों 63 विभिन्न शाखाओं में आं.प्र.रा.आ.नि.लि. के प्रधाननिदेशक द्वारा सावधि जमाओं में रखे गये (दिसम्बर 2010) थे। लेखापरीक्षा द्वारा जब इंगित किया गया (सितम्बर 2013), राज्य सरकार ने जवाब दिया (दिसम्बर 2013) कि निधियों को आ.प्र.रा.आ.नि.लि. के प्रबंध निदेशक को हस्तांतरित कर दिया गया था)

गुजरात में, भारत सरकार,गुजरात में, भारत सरकार, एवं राज्य सरकारों से जि.ग्रा.पं.वि.प्रा. द्वारा कार्यान्वित सभी योजनाओं के लिए प्राप्त निधियों को पहले साझे खाते में जमा किया जाता था और इं.आ.यो. हेतु अनुरक्षित अलग बैंक खातों में हस्तांतिरत कर दिय जाता था। इ.आ.यो. निधियों के साझे खाते से इं.आ.यो. बैंक में हस्तातंरण में 247 दिनों तक के विलंब थे।

कर्नाटक के छः चयनित जिलों में, इं.आ.यो. अनुदान का केन्द्रीय अंश पहले जि.पं. सामान्य लेखे (एक साझा खाता जिसमें भारत सरकार योजना अनुदानों को ई-हस्तांतरण के माध्यम से सीधे जमा करता है) में सीधे जमा किया गया था और उसके बाद जि.प. के अलग इं.आ.यो. खाते में हस्तांतरित किया गया था। हमने पाया कि पांच चयनित जि.प्र. (चिकमंगलूर, चित्रदुर्गा, गडग, मंड्या, रामनगर) ने केन्द्रीय अंश को इं.आ.यो. खाते में 13 एवं 314 दिनों के बीच विलंब के साथ जमा किया था। इसके अतिरिक्त, इस अवधि के दौरान 39.25 लाख का अर्जित ब्याज (लगभग चार प्रतिशत प्रति वर्ष) इं.आ.यो. बैंक खातों में हस्तांतरित नहीं किया गया था।

ओडिशा में, 11 ब्लॉकों ने 2008-13 के दौरान इं.आ.यो. निधियों पर बैंक द्वारा जमा किये गये ₹2.00 करोड़ के ब्याज को परिकलित नहीं किया था।

पंजाब में, भारत सरकार से 2008-13 के दौरान प्राप्त ₹28.70 करोड़ को अलग बैंक खातों (इं.आ.यो. निधियों को छोड़कर) में रखा गया था और संबंधित इं.आ.यो. बैंक खातों में जि.ग्रा.वि.प्रा./ जि.प. द्वारा 6 से 223 दिनों के बाद हस्तांतरित किया गया था। तथापि, ₹15.51 लाख राशि का ब्याज इं.आ.यो. खातों में हस्तांतरित नहीं किया गया था।

राजस्थान के सिकर जिले के जि.पं. (ग्रा.वि. प्रकोष्ठ) ने उच्च प्राधिकारियों के निर्देशों पर इंआ.यो. बचत बैंक खाते से ₹50.00 लाख की राशि आहरित की और उसे अस्थायी रूप से (मार्च 2009) कैनरा बैंक के दूसरे बचत बैंक खाते में जमा कर दिया था।

उत्तराखण्ड के पाँच चयनितजिलों में, मुख्य बैंक खाते में जमा केन्द्रीय अंश को इं.आ.यो. बैंक खातों में 10 एवं 349 दिनों के मध्य विलंब के पश्चात, मुख्य बैंक खाते में इं.आ.यो. निधि को रोके रखने की अवधि हेतु उपार्जित ₹54 लाख के ब्याज के बगैर ही (@ चार प्रतिशत वर्ष) 2008-13 के दौरान हस्तांतरित कर दिया गया था।

मंत्रालय द्वारा जि.ग्रा.वि.प्रा., उत्तरी एवं मध्य अण्डमान को जारी की गयी इं.आ.यो. निधियाँ इं.आ.यो. खाते से अलग एक खाते में अक्तुबर 2011 तक

रखी गयी थीं और उसे इं.आ.यो. खाते में हस्तांतरित किया जाना था। मंत्रालय ने इं.आ.यो. से संबंधित निधियों केा को सही में हस्तांतरित करने में पर्याप्त सतर्कता नहीं रखा था।

यह भी पाया गया था कि 11 राज्यों यथा असम (एक जिला), छत्तीसगढ़ (एक जिला), जम्मू एवं कश्मीर (एक ब्लॉक), झारखण्ड (दो ब्लॉक), कर्नाटक (11 जिले), मिजोरम (दो ब्लॉक), ओडिशा (एक जिला), पंजाब (दो ब्लॉक), राजस्थान (छ: जिले), उत्तर प्रदेश (दो जिले) एवं उत्तराखण्ड (एक ब्लॉक एवं एक जिलाके आठ चयनित ब्लॉकों एवं 24 चयनित जिलों ने इं.आ;यो. निधियों को चालू खाते या निजी लेजर खातों में रखा था। इसके अतिरिक्त लेखा परीक्षा ने देखा कि छ: राज्यों[5] में 2008-13 के दौरान मौजूदा ब्याज दरों पर (3.5 प्रतिशत एवं 4 प्रतिशत प्रति वर्ष) ₹4.22 करोड़ की ब्याज हानि में उक्त राशि को चालू खाते में नहीं रखने के कारण हुई।

अत: अनेक बैंक खातों के परिचालन के कारण, इं.आ.यो. निधियों के अन्य योजना निधियों में जुडाव, प्रयुक्त इं.आ.यो. निधियों पर उपार्जित जहाँ यह अन्य योजना निधियों की परिकलन नहीं करने के कारण, के साथ संबंद्ध किया गया हो उसकी सटीक स्थिति का निर्धारणलेखापरीक्षा में नहीं किया जा सका था।

मंत्रालय ने बताया (जुलाई 2014) कि संशोधित प्रक्रिया के अनुसार, एक जि.ग्रा.वि.प्रा. द्वारा केवल एक ही बैंक खाता ही रखना था जो सी.पी.एस.एम.एस. के साथ पंजीकृत है निधियों को इलेक्ट्रानिक रूप से केवल उसी खाते में डालना था। मंत्रालय ने आगे बताया कि 2014-15 से, इं.आ.यो. निधियॉ केवल राज्य के ही समेकित निधियों को जारी की जा रही थीं।

5.8 राज्य अंश का कम निर्गम

राज्य सरकारों के निधियों के निर्गम से संबंधित अभिलेखों की जांच से प्रकट हुआ कि 11 राज्यों में राज्य सरकारों द्वारा 2008-13 के लिए ₹255.71

---

[5] असम (₹1.10 करोड़) जम्मू एवं कश्मीर (₹0.03 करोड़), कर्नाटक (₹2.51 करोड़), ओडिशा (₹0.10 करोड़), पंजाब (₹0.08 करोड़), राजस्थान (₹0.40 करोड़)

करोड़ की राशि के इं.आ.यो. निधियों उनके अंशों का कम निर्गम हुआ था कम निर्गमों के ब्यौरे अनु.- 5.4 में दिये गये है। राज्य के अंश में गिरावट ने इं.आ.यो. के कार्यान्वयन हेतु उपलब्ध कुल निधियों की उपलब्धता को प्रतिकूलत: प्रभावित किया था जिससे लक्षित ग.रे.नी. परिवारों के लिए निर्मित होने वाले घरों की संख्या घट गयी।

मंत्रालय ने (जून 2014) लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया और कहा कि राज्य अंश के कम निर्गम अथवा गैर-निर्गम की स्थिति में, संबंधित जिले के दूसरे किस्त में से अनुपातिक केन्द्रीय अंश की कटौती की गयी थीं। मंत्रालय ने आगे बताया कि कटौती की राशिको राज्य के अंदर बेहतर प्रदर्शन वाले जिलों को पुन: वितरित कर दिया गया था।

5.9 राज्य अंश के कार्यान्वयन अभिकरणों को निर्गम में विलम्ब

इं.आ.यो. दिशानिर्देशों के पैरा 4.6 के अनुसार, राज्य अंश को जि.ग्रा.वि.प्रा. को केन्द्रीय सहायता के निर्गम के बाद एक माह के अंदर जारी कर दिया जाना था और उसकी एक प्राप्ति मंत्रालय को पृष्ठांकित करनी थी।

19 राज्यों में, राज्य अंश को राज्य सरकार द्वारा 744 दिनों तक के विलंब के साथ जारी किया गया था। ब्यौरे **अनुबंध-5.5** में दिये गये हैं। निधियों के विलंबित निर्गम से लाभार्थियों तक निधियों का विलंबत हस्तांतरण हुआ और इस प्रकार इं.आ.यो. के कार्यान्वयन को प्रतिकूलत: प्रभावित किया।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया (जून 2014) और बताया कि राज्यों के वित्तीय सीमाओं के कारण अथवा केन्द्रीय अंश के निर्गम की संस्वीकृत आदेशों के देर से प्राप्ति के कारण, राज्य अंश का निर्गम कई बार देर से हुआ।

मामला अध्ययन : आंध्र प्रदेश में इं.आ.यो का निष्पादन

- आन्ध्र प्रदेश में, इं.आ.यो. का निष्पादन आंध्र प्रदेश राज्य आवास निगम लिमिटेड (आं.प्र.रा.आ.नि.लि.) द्वारा किया गया था। इं.आ.यो. में दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए, राज्य ने आपने स्वयं की निधि प्रवाह प्रणली को प्रयुक्त किया था। इस प्रणालीके तहत, संबंधित जिलों के जि.ग्रा.वि.प्रा. को भारत सरकार निधियों को, मंत्रालय से प्राप्ति पर, आ.प्र.रा.आ.नि.लि. के संबंधित परियोजना निदेशाकों को अंतरिक करेगा, जो उसके बाद उसे आ.प्र.रा.नि.लि., हैदराबाद के प्रबंध निदेशक को हस्तांतरित करेगा जहॉ इं.आ.यो. निधियों के लिए एक केन्द्रीय पूल अलग से अनुरक्षित किया गया था । राज्य सरकार ने अपना समान अंश आं.प्र.रा.नि.लि. के प्र.नि. के निजी खाते में जारी कर दिया जिसे खास तौर से सभी राज्य निधियों के पिचालन हेतु अनुरक्षित किया गया था। इन निधियों को आगे चार शीर्ष बैंक खातों में लाभार्थियों तक आगे से वितरण के लिए हस्तांतरित कर दिया गया था। इं.आ.यो. के अतिरिक्त, ये शीर्ष बैंक खाते राज्य आवसय कार्यक्रम, इंदिरम्मा ग्रा.क्षे. में समेकित नव विकास एवं मॉडल नगर क्षेत्र हेतु अनुरक्षित किये जाते थे और इसलिए इं.आ.यो. निधियोंहेतु खास बैंक खातों के गैर-अनुरक्षण के कारण, भारत सरकार द्वारा जारी निधियों और राज्य के समान अंश पर उपार्जित ब्याज को निर्धारित नहीं किया जा सका।
- यह देखा गया कि 2008-13 के दौरान इंदिरम्मा के अंतर्गत निम्नतर कीमत (इं.आ.यो. के अंतर्गत भारत सरकार से प्राप्त घरों की इकाई कीमतकी तुलना में) पर पहले से आये/बने घरों को इं.आ.यो. घरों में परिवर्तित किया गया था और उसके अनुसार लाभार्थियों को इं.आ.यो. दिशानिर्देशों में निर्धारित (@35,000 एवं 45,000) इकाई कीमत से का भुगतान किया गया था। लाभार्थियों को इकाई कीमत के कम निर्गम के कार,₹367.59 करोड़ (लगभग) को राशि राशि आं.प्र.रा.अ.नि.लि. द्वारा (केन्द्रीय अंश ₹275.57 करोड़ एवं राज्य समान अंश: ₹91.89 करोड़) 2008-09 से 2010-11 की अवधि हेतु रखी गयी थी।

5.10 निधियों का निष्क्रिय पडे रहना

बिहार, झारखण्ड, राज्स्थान, तमिलनाडु एवं उत्तर प्रदेश के पांच राज्यों में ₹86.16 करोड़ की राशि एक एवं आठ वर्षों की अवधि के मध्य जिला /ब्लॉक/ ग्रा पं स्तरों पर निष्क्रिय/अप्रयुक्त पड़ी रहीं जिसका विवरण निम्न तालिका-9 में दिया गया है:

तालिका-9: निधियों की निष्क्रियता

राज्य	अभ्युतियां
बिहार	किशनगंज जिले द्वारा मार्च 2011 में प्राप्त की गयी बिहार ₹10.60 करोड़ की इं. आ.यो. सहायता (केन्द्रीय अंश ₹7.95 करोड़ एवं राज्य अंश ₹2.65 करोड़) दो वर्षों तक अप्रयुक्त पड़ी रही। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर (मई 2013), निधियों को जून 2013 में ब्लॉकों को जारी किया गया सुपौल जिले में, इं.आ.यो. के अंतर्गत 2004-05 में प्राप्त की गयी ₹ 3.04 करोड़ का अव्ययित शेष आठ वर्षों तक अप्रयुक्त रहा पश्चिमी चंपारण जिले में ₹5.68 करोड़ की राशि 18 ग्राम पंचायतों द्वारा 2008-09 से तक अप्रयुक्त रहीं। ग्राम पंचायतों के पास पड़े अव्ययित शेष को ब्लॉकों में हस्तांतरित करने की आवश्यकता थी।
झारखण्ड	वास्तविक आवश्कता का मूल्यांकन नहीं करने के कारण, गोड्डा पालमू एवं रॉची जिलों के 24 ब्लॉकों में ₹24.86 करोड़ 2008-13 के दौरान अप्रयुक्त पड़ा रहा। दो जि.ग्रा.वि.प्रा. (रांची एवं पूर्वी सिंहभूमि) में, 2010-11 के दौरानब्लॉकों को प्रदान किये गये ₹21.61 करोड़ के चैक 2011-12 के दौरान भुनाये गये। पलामू के जि.ग्रा.वि.प्रा. में, 2011-12 से 2013-14 (सितम्बर 2013 तक) तक 48.00 लाख अप्रयुक्त पड़ा था। जि.ग्रा.वि.प्रा.सिंहभूमि में, 2008-09 से पूर्व की अवधि के ₹1.75 करोड़ सितम्बर 2013 तक अप्रयुक्त रहे। 2008-13 के दौरान इं.आ.यो. निधि पर अर्जित ₹17.00 लाख का ब्याज भी जून 2013 तक प्रयुक्त नहीं हुआ था।
राजस्थान	छः जिलों के आठ ब्लॉकों ने जि.पं. को ₹1.00 करोड़ वापस लौटाया था जो उनके पास अप्रयुक्त पड़ा था और इं.आ.यो. खाते की बजाय निजी जमा खाते में रखा हुआ था।

तमिलनाडु	तीन ब्लॉकों थिरूवेरंबुर (त्रिची, श्रीवैकुंठम एवं त्रिचेन्दुर जिला-जिला टुटीकोरीन) में, 77 लाख 62 ग्राम पंचायतों के बचत बैंक खातों में 31 अगस्त 2013 तक रखा गया था। इसके अतिरिक्त, तीन ब्लॉकों में (कोणगिरि-जिला नीलगिरि, कम्मपुरम-जिला कुड्डालोर एवं रामनाथपुरम जिला रामनाथपुरम) ₹1.07 करोड़ बचत बैंक खातों में अप्रैल 2012 तक रखा गया था।
उत्तर प्रदेश	जिला रामपुर ने अ.जा./अ.ज.जा. श्रेणी हेतु 2011-12 के लिए चिन्हित ₹2.33 करोड़ को इन श्रेणियों में लाभार्थियों की मौजूदगी के बावजूद न तो अभ्यर्पित किया और न ही उपयोग में लाया। देवरिया जिलों में,₹8.59 करोड़ 2011-12 से ही अप्रयुक्त पड़ा रहा क्योंकि अ.जा./अ.ज.जा. श्रेणी के अंदर लाभार्थी समाप्त हो गये थे। मेरठ जिले में, ₹4.38 करोड़ 2009-10 से ही इं.आ.यो. सहायता हेतु योग्य परिवारों की अनुपलब्धता के कारण अप्रयुक्त पड़ा रहा।

मंत्रालयने बताया कि जिलास्तर पर उपलब्ध निधियों के 60 प्रतिशत का उपयोग अगली किस्तों को निर्गम हेतु अनिवार्य था और ब्लॉक एवं जि.पं. स्तर पर क्षेत्र 40 प्रतिशतमें से कुछ निधियों के अप्रयुक्त रहने की संभावना थी। मंत्रालय ने आगे बताया कि विषय को संबंधित राज्यों के समक्ष उठाया जाएगा। हालांकि, लेखा परीक्षा में रेखांकित कुछ मामले चार या पाँच वर्षों पूर्व किये गये निर्गमों से संबंधित हैं।

5.11 उपयोगिता प्रमाण-पत्रों (उ.प.) में बढाया हुआ व्यय

असम के तीन चयनित ब्लॉकों (नंगाव जिले के अंतर्गत राहा सोनीतपुर जिले के अंतर्गत बागमारा एवं चैदुआर) ने अपने रोकड़ बहियों में मार्च 2008 एवं मार्च 2012 के माह में ग्रा.पं. को ₹2.22 करोड़ का हस्तांतरण दिखाया था हालाँकि उन्हें या तो किसी नये खातेमें अस्थायी रूप से हस्तांतरित किया गया था या कॉल जमा रसीदें 2007-08 एवं 2011-12 में निधि उपयोग को दर्शाने के लिए बनायी गयी थीं। निधियों को वास्तविक रूप से जि.पं. को अगामी वित्त-वर्षों में हस्तांतरित किया गया था।

कर्नाटक में (यादगिर जि.प. को छोडकर) तीस जि.पं. (₹331.75 करोड़),केरल में दो पी.ए.यू. (अलाप्पुजा एवं वयनद ₹3.93 करोड़), ओड़िशा (बलसोर एवं गंजम) में चयनित दो जिलों (₹23.35 करोड़) एवं उत्तराखण्ड (टिहरी एवं उधम सिंह नगर) ने दो चयनित जिलों (₹1.52 करोड़) ने मंत्रालय को प्रस्तुत 2008-13 के दौरान उ.प्र. में ₹360.55 करोड़ बढ़ाकर व्यय सूचित किया था।

ओडिशा के दो जिलों (बलसोर एवं गंजम) के अंदर पांच चयनित ब्लॉकों ने भी 2008-13 की अवधि के दौरान हुए वास्तविक व्यय से ₹12.62 करोड़ अधिक बढ़ाकर उ.प्र. प्रस्तुत किये थे। त्रिपुरा में छः चयनित ब्लॉकों ने ₹7.60 करोड़ के उ.प्र. 2008-13 के दौरान व्यय किये बगैर प्रस्तुत किया था। तिरूवन्नमलाई जि.ग्रा.वि.प्रा. (तमिलनाडु) ने रोकड़ बही के अनुसार उपलब्ध निधि को केवल 51.68 प्रतिशत ही उपयोग किया जबकि वर्ष 2011-12 के लिए दूसरे किस्त के प्रस्ताव में इसे 72 प्रतिशत के रूप में बताया गया था।

मंत्रालय ने बताया कि मामले को संबंधित राज्यों के साथ उठाया जाना था।

5.12 खातों का गैरसुमेलन

हमने पाया कि खातों का मासिक सुमेलन सात राज्यों यथा, बिहार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर एवं ओडिशा के चयनित जिलों, ब्लॉकों एवं ग्रा.पं. में समान रूप से नहीं किया गया था। बैंक शेषों और रोकड़ बही शेषों के मध्य सुमेलन करीमनगर जिले में 2009-10 से 2012-13 के दौरान कभी भी नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, रोकड़ बही और पास बुक के अंत शेषों के मध्य ₹23.38 करोड़ की विसंगति को लेखापरीक्षा द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता था। बैंक शेषों और रोकड़ बहियों के मध्य सुमेलन कर्नाटक में चयनित 119 ग्रा.पं. में से 28 में नहीं किया गया था।

5.13 लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्र

इं.आ.यो. दिशानिर्देशों का पैरा 4.2 (ख) (**vi**)जिला परिषद/जि.ग्रा.वि.प्रा. द्वारा दूसरी किस्त क लिए अन्य शर्तें पूरी करने के अलावा निर्धारित प्रारूप में एक उ.प्र. पुस्तुत करने का प्रावधान करता है। मंत्रालय द्वारा प्रदान सूचना के

अनुसार,**2006-07** से 2011-12 तक से संबंधित ₹ 137.52 करोड़ के उ.प्र. 15 राज्यों के पास लंबित थे, जिनके ब्यौरे तालिका-10 में दिये गये हैं:

तालिका-10: लंबित उपयोग प्रमाण-पत्र

राज्य	जिलों की सं.	राशि (₹लाख में)	वर्ष से संबंधित उ.प्र.
अरूणाचलप्रदेश	1	4.76	2010-11
असम	23	4,992.60	2008-09 एवं 2011-12
हिमाचल प्रदेश	1	10.25	2010-11
जम्मू एवं कश्मीर	5	700.24	2010-11 एवं 2011-12
झारखण्ड	9	4,748.19	2009-10 एवं 2010-11
कर्नाटक	1	26.25	2010-11
मध्य प्रदेश	12	676.08	2005-06, 2007-08, 2009-10 एवं 2010-11
महराष्ट्र	15	305.39	2006-07, 2007-08 एवं 2010-11
मणिपुर	1	20.79	2010-11
ओडीशा	1	17.03	2009-10
सिक्किम		126.00	2010-11
तमिललाडु	1	59.44	2009-10
त्रिपुरा	1	22.34	2010-11
उत्तर प्रदेश	17	120.75	2009-10 एवं 2010-11
पश्चिम बंगाल	3	1,921.88	2011-12
	योग	13,751.99	

5.14 गैर अनुमेय मदों पर निधियों का विपथन एवं व्यय

इं.आ.यो. दिशानिर्देशों के पैरा 4.2 (ख) (ii)के अनुसार, जि.ग्रा.वि.प्रा. को मंत्रालय से दूसरी किस्त मांगते समय एक गैर विपथन एवं गैर-गबन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना था। यद्यपि जि.ग्रा.वि.प्रा. ने गैर-विपथन-पत्र प्रस्तुत किया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि ₹37.12 करोड़ 13 राज्यों एवं दो सं.शा.क्षे. में अन्य योजनाओं यथा मनरेगस, एस.जी.एस.वाई., राज्य आवास योजनाओं, आदि में विपथित किये गये थे, राज्य विशिष्ट निष्कर्ष **अनुबंध- 5.6.1** में वर्णित हैं। विपथित निधियों में से,₹**28.40** करोड़ की आपूर्ति इं.आ.यो. निधि को 10 से 261 दिनों के विलंब के साथ कर दी गयी थी।

इसके अतिरिक्त, ₹2.20 करोड़ इं.आ.यो. के अंतर्गत निर्धारित मदों यथा लाभार्थियों को मजदूरी का भुगतान, लेखा-सामग्री, आकस्मिकताओं, आदि के अलावा अन्य गैर-अनुमेय मदों पर खर्च किया गया था। इसके ब्यौरे **अनुबंध - 5.6.2** में दिये गये हैं।

मंत्रालय ने बताया (जुलाई 2014) कि अन्य योजनाओं के लिए या गैर-अनुमेय प्रयोजनों हेतु निधियों के विपथन पाये जाने के मामले में,जि.ग्रा.वि.प्रा.की धनराशि की आपूर्ति इं.आ.यो. में तुरंत करने और रोकी गयी निधियों को जारी करने का परामर्श दिया गया था और यदि समय कम हो और वित्त वर्षका अंत हो रहा हो, दूसरी किस्त को सशर्त जारी किया गया था जिसे आगामी वर्ष में मानीटर किया गया था।

5.15 प्राकृतिक आपदाओं के लिए निधियों को चिन्हित करना

दिशानिर्देशो के पैरा 4.4.1 के अनुसार, इ.आ.यो के अंतर्गत कुल आवंटित निधियों के पांच प्रतिशत को प्राकृतिक आपदाओं या पंगे, आगजनी, अग्नि, असाधारण परिस्थितियों में पुनर्वास आदि के उत्पन्न परिस्थितियों के कारण आयी जरूरतों को पूरा करने के लिए केन्द्रीय स्तर पर अलग से रखना या

जिसमें वार्षिक आबंटन (राज्य अंश को मिलाकर) का 10 प्रतिशत या ₹70.00 लाख, जो ही अधिक हो, की जिला-वार[6]अधिकतम सीमा होगी।

इस प्रयोजन हेतु प्रस्तावों को राज्य सरकारों/सं.शा.क्षे. के प्रशासन से हानि के प्रसार एवं बनाये जाने वाले प्रस्तावित इं.आ.यो. घरों से संबंधित अनुमानित निधि आवश्यकता को दर्शाते हुए प्राप्त किया जाना था बशर्ते कि घर के निर्माण हेतु सहायता किसी अन्य स्रोत से प्राप्त न की गयी हो। राहत को, इं.आ.यो. के अंतर्गत किसी इं.आ.यो. घर के लिए निर्धारित सहायता की प्रति इकाई अधिकतम सीमा से संबंधित मानदण्ड़ों के अनुसार होना था।

दंगा, एवं आगजनी की स्थिति में समय पर पीड़ितों को राहत पहुंचाने और क्षतिग्रस्त घरों के शीघ्र पुननिर्माण को सुगम बनाने के लिए जिला स्तर पर कलक्टरो/जिला न्यायाधीशो/उप आयुक्त सर्वप्रथम ऐसी आपदाओं में पीड़ितों को सहायता प्रदान करने और खर्च करने के लिए प्राधिकृत थे। व्यय के उनके आपने संसाधनों या जिले के आबंटन से पूरा किया जा सकता है। इस प्रकार किये गये व्यय के केन्द्रीय अंश की प्रतिपूर्ति मंत्रालय द्वारा होनी थी सहायता प्राप्त परिवार के विवरणों और व्यय किये राशि हेतु उ.प्र. के साथ की प्रतिपूर्ति हेतु, कलक्टर द्वारा यथोचित रूप से हस्ताक्षरित एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर मत्रांलय द्वारा प्रतिपूर्ति होनी थी। कलक्टर को घटना और क्षति के विस्तार को प्रमाणित करना था कि घर के निर्माण हेतु उक्त पीडितों को किसी अन्य स्रोत से सहायता नहीं प्रदान की गयी थी।

असम के नगांव जिले में, लाओखोवा ब्लॉक में बाढ़ क्षरण के 114 गैर-ग.रे.नी पीडितों को 55.00 लाख घरों के निर्माण हेतु प्रदान किया गया था तीन ब्लॉकों (बाजियागंव, बरहमपुर एवं जुगीजन) के दूसरे 137 तूफान प्रभावित पीड़ितों को 66.00 लाख घरों के निर्माण हेतु घटना/तूफान आने की प्रमाणिकता सुनिश्चित किये बगैर और कोई तैयार किये बिना प्रदान किया गया था। किसी अन्य स्रोत से इस प्रयोजन हेतु निधियों के गैर-उपयोग पर कलक्टर से प्रमाण-पत्र जैसा अपेक्षित है, भी अभिलेखों में उपलब्ध नहीं था। तीन राज्यों

---

[6] मंत्रालय के आदेश सं. एच-11011/1/2002-आर.एच. दिनांक 14/;2/2012 के माध्यम से वार्षिक आबंटन (राज्य अंश मिलाकर) का 10 प्रतिशत राज्य-वार अधिकतम सीमा

बिहार(औरंगाबाद, भागलपुर, भोजपुर, किशनगंज, मधुबनी, सरन एवं सुपौल में कुल ₹6.43 करोड), उत्तर प्रदेश (गोंडा, हमीरपुर, मैनपुरी एवं रामपुर में कुल ₹1.15 करोड़) एवं उत्तराखण्ड (नैनीताल, टिहरी गढ़वाल एवं यू.एस. नगर में कुल ₹12 लाख) के चौदह जिलों ने प्राकृतिक आपदाओं के पीड़ितो को सहायता प्रदान करने के लिए ₹7.70 करोड़ व्यय किया, हालॉकि, 13 जिलों (मैनपुरी जिले को छोडकर) ने मंत्रालय से केन्द्रीय अंश के लिए दावा नहीं किया था उत्तर प्रदेश में, 14 चयनित जिलों में से दो जिलों (गोंडा तथा मैनपुरी) में प्राकृतिक आपदाओं के वास्तव में घटने का कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं था फिर भी, प्राकृतिक आपदाओं के कारण ₹1.01 करोड़ का व्यय किया गया था।

जि.ग्रा.वि.प्रा. (दक्षिण), गोवा ने 115 बाढ़ पीड़ित परिवारों को इं.आ.यो. निधि से 20,000 प्रत्येक को वित्तीय सहायता जारी (अक्तुबर 2009) किया था। 115 परिवारों मं से, 50 परिवार गरीबी रेखा से ऊपर (ग.रे.उ.) से संबंधित थे। संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जि.ग्रा.वि.प्रा. (दक्षिण) को कलेक्टर कार्यालय, दक्षिण गोवा से ग.रे.उ. परिवारों की संवितरित धनराशि की वसूली करने को प्रस्तुति करने का निर्देश दिया था। राज्य सरकार से ₹10.00 लाख की वसूली हेतु दावों की प्रस्तुत करने की बजाय, जि.ग्रा.वि.प्रा. (दक्षिण) के कार्य को सही ठहराने के लिए उपरोक्त सभी ग.रे.उ. परिवारों को ग.रे.नी. सूची में अनियमित रूप से जोड़ दिया गया था।

कर्नाटक में, भा.स. ने ₹9.98 करोड़ और कर्नाटक सरकार ने ₹5.15 करोड़ दिसम्बर 2009 के दौरान इं.आ.यो. के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं के लिए जारी किया था। ₹15.00 करोड़ में से, ₹3.48 करोड़ मार्च 2013 के अंत तक उपयोग में लाया गया था। चूंकि न तो कार्यान्वयन अभिकरण (रा.गा.ग्रा.भा.नि.)[7] द्वारा और न ही जि.पं./ग्रा.पं. द्वारा कोई अलग अभिलेख अनुरक्षित किया गया था। लेखापरीक्षाग्रा.पं. द्वारा प्राकृतिक आपदाओं के पीड़ितों के लिए कियेगये लक्ष्य की शुद्धता को सुनिश्चित नहीं कर पाया।

मणिपुर में, सेनापति जिले के तदुबी उप-प्रभाग में सजौबा गांव में सितम्बर 2007 के व्यापक भू-स्खलन के 120 पीड़ितों में से 114 पीड़ितों को सहायता

[7] राजीव गांधी ग्रामीण आवासीय निगम

पहँचाने में एक वर्ष नौ माह से लेकर तीन वर्ष 10 माह का विलंब हुआ था। छः पीडितों को इं.आ.यो. घरों की सहायता धनराशि उपलब्ध न होने के कारण नहीं पहुँचायी जा सकी थी।

नागालैण्ड में, प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत ₹37.50 लाख का 2007-08 से संबंधित जि.ग्रा.वि.प्रा. मोकोक्चुंग के प्रति 2008-09 के दौरान हुए भुगतान के अलावा कोई व्यय नहीं किया गया।

राजस्थान के 12 जिलों (बांसवाड़ा, बाड़मेर, चितौरगढ़, डुंगरपुर, जैसलमेर, जालोर, झालावाढ़, पाली, राजसामंद, सिरोही, उदयपुर एवं टोंक) के पास उपलब्ध ₹166 लाख में से, 31 मार्च 2013 तक केवल ₹86.00 लाख ही उपयोग में लाया गया और ₹80.00 लाख अव्ययित पड़ा रहा। न तो उ.प्र. जमा किये गये और न ही अच्ययित शेष को सामान्य इं.आ.यो. अनुदान के प्रतितीन वर्षों के बीत जाने पर भी समायोजित किया गया था।

त्रिपुरा में, कलक्टर द्वारा ₹2.45 करोड़ पियचिमी त्रिपुरा में 10 कार्यान्वयन अभिकरणों को आत्मसर्म्पण कर चुके 631 उग्रवादियों को इं.आ.यो. के अंतर्गत घर प्रदान करने के लिए जारी किया (2008-13 के दौरान) आत्मसमर्पण कर चुके उग्रवादियों केा 31 इं.आ.यो. घर प्रदान करने के लिए जारी किया। इं.आ.यो. दिशानिर्देशों, जो इं.आ.यो. के अंतर्गत आत्मसमर्पण कर चुके उग्रवादियों को शामिल करने की कोई व्यवस्था नहीं करता, से ऐसे विपथन हेतु मंत्रालय से कोई अनुमोदन प्राप्त किया हुआ दिखायी नहीं दिया। राज्य सरकार ने बताया कि उग्रवादी आत्मसमर्पण कर चुके अतिवादी थे और उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पुनर्वास की आवश्यकता थी।

5.16 अलेखांकित व्यय या निधियों का दुर्विनियोजन

इं.आ.यो. दिशानिर्देशों के पैरा 4.2 (ख) (**vii**)जि.ग्रा.वि.प्रा. द्वारा मंत्रालय से दूसरी किस्त का दावा करते समय गैर-गबन प्रमाण-पत्र की प्रस्तुति को आवश्यक करता है। हमने पाया कि जि.ग्रा.वि.प्र. ने गैर-गबन प्रमाण-पत्र की सामान्य तरीके से यथोचित सतर्कताका पालन किये बगैर कर दिया था।

इं.आ.यो. निधियों के दुर्विनियोजन के ₹4.91 करोड़ की धनराशि के साथ 15 सुनिश्चित मामले असम, बिहार एवं झाखण्ड में देखे गये थे।

लेखा परीक्षा ने यह भी पाया कि असम, जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, कर्नाटक, मणिपुर,नागालैण्ड, औडिशा, पंजाब एवं उत्तर प्रदेश के नौ राज्यों के 15 मामलों मे लाभार्थियों को सहायता के अंतरण एवं निर्माण सामग्री की अधिप्राप्ति हेतु भुगतानोंसे संबंधित कोई समर्थक वाउचर/ अभिलेख नहीं थे। इसमें ₹9.76 करोड़ की धनराशि सम्मिलित थी। इन मामलों में निधियों के संदिग्ध दुर्विनियोजन से इंकार नहीं किया जा सकता है।

दुर्विनियोजन के निश्चित और संदिग्ध मामलों के ब्यौरे **अनुबंध -5.7** में दिये गये हैं।

मंत्रालय ने बताया कि लेखा परीक्षा द्वारा संदर्भित विशेष मामलों की जाँच की जाएगी तथा की गयी कार्रवाई को संबंधित राज्य सरकारों से आगत को प्राप्त करने के पश्चात प्रस्तुत किया जाएगा।

5.17 लाभार्थियों को सहायता का भुगतान

इं.आ.यो. दिशानिर्देशों के पैरा 4.10 के अनुसार, लाभार्थी को कार्य की प्रगति के अनुसार धीर-धीरे होना था और समूची धनराशि एकमुश्त रूप में नहीं दी गयी थी। कार्य की प्रगति से भुगतान के किस्तों का जुडाव का निर्णय राज्य सरकार राज्य या जिला स्तर पर निर्णय किया जा सकता था आदर्श रूप में सहायता दो-किस्तों में वितरित करनी थी, पहली किस्त संस्वीकृति आदेश के साथ और दूसरी किस्त जब निर्माण सरदलस्तर पर पहुँच जाए। लेखापरीक्षा द्वारा लाभार्थियों को सहायता के वितरण में पाई गई विशेषताओं का विवरण निम्नलिखित मामला अध्ययन में उल्लिखित है:

मामला अध्ययन: अरूणाचल प्रदेश, नागालैण्ड एवं त्रिपुरा में इं.आ.यो. के कार्यान्वयन में विशेषताएं

इं.आ.यो. दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए, इं.आ.यो. का 2008-13 के दौरान कार्यान्वयन लाभार्थियों को नालीदार जस्ती लोहे (सी.जी.आई.) की चादरों के रूप में निर्माण सामग्री प्रदान करने तक ही सीमित रहा था। अरूणाचल प्रदेश एवं नागालैण्ड ने इं.आ.यो. के अंतर्गत 2008-13 के दौरान क्रमश: ₹202.30 करोड़ एवं ₹214.20 करोड़ का व्यय किया जो पूरी तरह से सी.जी.आई. चादरों के प्रापण पर हुआ था।

इं.आ.यो. दिशानिर्देशोंमें निर्धारित वित्तीय सहायता के प्रति नागालैण्ड में प्रत्येक लाभार्थी को सी.जी.आई चादरों के पॉच से लेकर सात गट्ठर दिये गये थे और अरूणाचल प्रदेश में, लाभार्थियों को इा.आ.यो. के अंतर्गत अनुमेय वित्तीय सहायता के बराबर सी.जी.आई. चादरें प्रदान की गयी थीं।

इ.आ.यो. दिशानिर्देशों में निर्धारण के अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करने से, लाभार्थियों को घर के निर्माण के प्रकार में पूरी स्वतंत्रता नहीं दी गयी थी। इसके अतिरिक्त, केवल सी.जी.आई. चादरें प्रदान करने से घर नहीं बन जाता क्योंकि इं.आ.यो. लाभार्थी को घर के निर्माण हेतुसामग्री एवं श्रमिकों की कीमत देनी होगी।

नागालैण्ड में, 68,805 लाभार्थियों (ग्रामीण विकास विभाग, नागालैण्ड द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना) को इ.आ.यो. के अंतर्गत 2008-13 के दौरान सहायता प्रदान की गयी थी। इन लाभार्थियों के लिए 4,43,553 सी.जी.आई. चादरों के गट्ठरों के प्रापण की आवश्यकता थी (2008-09 के दौरान 19,041 लाभार्थियों के लिए प्रति लाभार्थी चादरों के पांच गट्ठर एवं 2009-13 के दौरान 49,764 लाभार्थियों के लिए प्रति लाभार्थी चादरेां सात गट्ठर। हालॉकि, विभाग ने 5,285 गट्ठर सी.जी.आई चादरों के 2008-13 के दौरान जाकर अधिप्राप्त कराये। अत: वास्तविक हकदारी के प्रति लाभार्थियों को सी.जी.आई चादरों के 5,285 गट्ठरों का कम वितरण हुआ था। तीन चयनित जिलों के संयुक्त प्रत्यक्ष सहायता के समय इसका खुलासा हुआ जहाँ 720 में से 369 लाभार्थियों ने पुष्टि की कि 2008-13 के दौरान उन्होंने चादरों के 2,551 गट्ठरों के पात्रता के प्रति केवल 1,744 गट्ठर ही प्राप्त किये। सी.जी.आई. दादरों के कम वितरण के कार, 2008-13 हेतु वार्षिक लक्ष्यों की उपलब्धि अधिक थी। (41,189 घरों की संख्या के लक्ष्यों के प्रति 68,805 घर पूरे हुए थे)। विभाग ने बताया कि अतिरिक्त उपलब्धि ₹12,500 प्रति लाभार्थी के कम निर्गम से बची राशि के उपयोग द्वारा अतिरिक्त लाभार्थियों को शामिल करने के कारण हुई थी (₹48,500 के मूल्य के सी.जी.आई चादरों की पात्रता के प्रति, प्रत्येक लाभार्थी को सिर्फ ₹36,000 मूल्य के सी.जी.आई चादर ही वितरित किये गये थे।) विभागने लक्ष्य से अधिक लाभार्थियों को, इं.आ.यो. के अनुसार दिशानिर्देशों लाभार्थियों की वितिय पात्रता से कम कीमत वाले सी.जी.आई चादरों के गट्ठरों को संख्या में वितरित कर शामिल किया था। अत: विभाग द्वारा दावित लक्ष्य की अतिरिक्त उपलब्धि इं.आ.यो. के पात्रता में कमी करने की कीमत पर अर्जित की गयी थी।

अरूणाचलप्रदेश के पश्चिम सीयांग जिले में 3,032 लाभार्थियों की 1,681.30 मैट्रिक टन की उनकी पात्रता के प्रति 1,545.64 मैट्रिक टन सी.जी.आई. चादरें प्रदान की गयी थी। अत: लाभार्थी इं.आ.यो. के पूरे लाभ से वंचित रहे। लोहित जिले में,जिन 2,191 लाभार्थियों को नये घर बनाने के लिए सहायता प्रदान की गयी थी उन्हें 2008-13 के दौरान ₹328.65 लाख राशि को सहायता कच्चे घरों के उन्नयन के लिए भी प्रदान की गयी थी। जि.ग्रा.वि.प्रा. ने बताया कि ₹38,500 की छोटी राशि (प्रति इकाई नये निर्माण के लिए सहायता) से, भौगोलिक रूप से प्रतिकूल पहाड़ी क्षेत्रों में घर बनाना मुश्किल था, इसलिए नये निर्माण और उन्नयन दोनों के लिए ही रखी राशि लाभार्थियों को दे दी गयी थी। जि.ग्रा.वि.प्रा.का कार्य ई.आ.यो. दिशानिर्देशों के प्रावधानों के विरूद्ध था और यह लाभार्थियों केा नये निर्माण के अंतर्गत ₹328.65 लाख के अतिरिक्त निर्गम में भी परिणत हुआ था।

त्रिपुरा में,लाभार्थियों को 2008-10 के दौरान घरों के निर्माण के तरीके में संपूर्ण स्वतंत्रता नहीं दी गयी थी। इं.आ.यो. के घरों के निर्माण का कार्य विभागीय कार्यान्वयन अधिकारियों (पंचायत सचिवों/कनिष्ठ अभियंताओं) को सौंपा गया था। ग्राम पंचायतों द्वारा लाभार्थियों के चयन के बाद, निर्माण आदेश कार्यान्वयन अधिकारी के नाम से चयनित लाभार्थियों के लिए इं.आ.यो. घरों के निर्माण के लिए जारी किये गये थे। सी.जीआई चादरें के अलावा, नालीदार ट्रस्स (छत बनाने के लिए निर्मित लोहे के काले पाइप से निर्मित संरचना), आर.सी.सी. खंभा एवं बांस की चटाई के दीवार और मिट्टी के दीवार लाभार्थियों केा प्रदान किये गये थे। लाभार्थियों केा कोई धनराशि नहीं दी गयी थी। सी.जी.आई चादर और नालीदारट्रस्स का प्रबंध कार्यान्वयन अधिकारी द्वारा उसे प्रदत्त इ.आ.यो. निधियों से किया गया था और और इं.आ.यो. घरों के बनने के बाद अग्रिमों का समायोजन जमा कर दिया गया था। उपरोक्त सभी व्यय इ.आ.यो. के अंतर्गत प्रति लाभार्थी उपलब्ध सहायता तक ही सीमित था। 2008-10 के दौरान ₹132.68 करोड़ का पूरा व्यय इसी तरीके से किया गया था।

त्रिपुरा एवं नागालैण्ड में सी.जी.आई. शीटों से बने मकानों के नमूना चित्र

त्रिपुरा के खोवाई ब्लॉक के लक्ष्मी नारायण पुर गाँव का इं.आ.यो. का घर

त्रिपुरा के खोवाई ब्लॉक के लक्ष्मी नारायण पुर गाँव का इं.आ.यो. का घर

5.17.1 गैर-कंपितआधार पर सहायता का भुगतान

हमने देखा कि 11 राज्यों (**असम, बिहार, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाड़, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल**) के 32 चयनित जिलों के 74,872 लाभार्थियों को ₹107.53 करोड़ का भुगतान एकमुश्त/घरों के निर्माण की प्रगति से जोड़े बगैर किया गया था। राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध 5.8 में दिया गया है।

5.17.2 लाभार्थियों को सहायता के भुगतान / गैर-भुगतान में देरी

पाँच राज्यों **(असम, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान एवं तमिलनाडु)** के 14 चयनित जिलों में, पहली (दूसरी किस्त का संवितरण नियत तिथि से 14 से 1,140 दिनों के विलंब के बाद किया गया था। ब्यौरे **अनुच्छेद 5.9.1** में दिये गये है।

गोवा में जि.ग्रा.वि.प्रा. (दक्षिण) से इं.आ.यो. लाभार्थियों को ₹1.42 करोड़ राशि के चैक जारी करने में मंत्री के सुविधा से सार्वजनिक बैठक के प्रबंध में विलंब के कारण आठ माह से अधिक के असाधारण विलंब थे।

हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल के 17 चयनित जिलों में, 13,038 लाभार्थियों को दूसरी किस्त जारी नहीं की गयी थी। इन 13,038 लाभार्थियों द्वारा पहली किस्त का उपयोग लेखापरीक्षा द्वारा पुष्ट नहीं किया जा सका। ब्यौरे **अनुबंध- 5.9.2** में दिये गये हैं।

गुजरात के तीन चयनीतजिलों (दाहोद, जूनागढ़ एवं बडोदरा) के चार ब्लॉकों (जालोद, लिमखेड़ा, केशोद एवं संखेदा) में, 983 इं.ओ.यो. लाभार्थियों को बैंक खातों की अनुपलब्धता/बैंक खातों में असंगति के कारण कोई वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं हुई थी।

पंजाब के तीन चयनित जिलों (नवां शहर, पटियाला, एवं एस.ए.एस नगर) में, 56 लाभार्थियों को ₹13.28 लाख का भुगतान नहीं किया गया था। पश्चिम बंगाल के कालीगंज पी.एस. (नदिया जिला) में एवं ब्लॉक सुरी-।। के अंतर्गत दोमदोमा ग्रा.पं. में, यद्यपि लाभार्थियों का चयन हुआ था और क्रमश:

₹4.32 करोड़ एवं ₹51.00 लाख की निधि उपलब्ध थी, 2008-11 के दौरान किसी लाभार्थी को भुगतान नहीं किया गया था।

गोवा (दक्षिण) जिले में, 123 लाभार्थियों के नाम से आहरित ₹20.00 लाख के चैक बिना कोई कारण बताए रद्द कर दिये गये थे। मंत्री के मौखिक निर्देश के अनुसार भुगतान किन्हीं अन्य लाभार्थियों को किये गये थे जिन्होंने बाद में आवेदनकिया। जम्मू एवं कश्मीर में, विभाग ने लाभार्थियों को चैक के द्वारा सांसद /विधायक/मंत्रियों द्वारा आयोजित सार्वजनिक बैठकों में भुगतान करने का निश्चय किया था जो लाभार्थियों को सहायता के विलंबित भुगतान में परिणत हुआ।

5.17.3 लाभार्थियों को सहायता से ₹139.37 करोड़ की अप्राधिकृत कटौती

निम्नलिखित तीन राज्यों में, लेखा परीक्षा ने पाया कि ₹139.37 करोड़ इं.आ.यो. लाभार्थियों को दी गयी सहायता से निम्नानुसार काटे गये थे:

राज्य	कटौती (₹ करोड़ में)	टिप्पणियाँ
आन्ध्र प्रदेश	139.12	₹11.02 लाख लाभार्थियों से 2008-13 के दौरान आवेदन शुल्क, लाभार्थी अंशदान एवं प्रशासनिक शुल्कों के प्रति वसूली।
गुजरात	0.11	दो चयनित जिलों (आनंद एवं दाहोद) चार चयनित ब्लॉकों (आनंद, तारापुर, जालोद एवं लिमखेड़ा) में 2008-13 के दौरान 2,298 लाभार्थियों के मामले में धुआँ रहित चुल्हा/स्वच्छ शौचालय/इं.आ.यो. प्रदर्शन पट्टी के गैर-संस्थान/गैर-निर्माण के प्रति कटौती।
झारखंड	0.14	चार चयनित जिलों (देवघर, गढवा, गोड्डा एवं रांची) के नौ चयनित ब्लॉकों (सदर, मधुपुर, गोड्डा, सदर, ठाकुरगंग्ती, चिनिया, डंडई, नगरूतरी, गढ़वा सदर,

		रातू एवं मंडार) में 2008-12 के दौरान 2,925 लाभार्थियों से धुआँ रहित चुल्हा/स्वच्छ शौचालय/इ.आ.यो. प्रदर्शन पट्टी के गैर-संस्थापन/गैर-निर्माण के प्रति।
कुल	139.37	

यह कटौती अनियमित थी चूंकि दिशानिर्देशों में लाभार्थियों की दी गयी सहायता से किसी प्रकार के कटौती की अनुमति नहीं देते।

5.17.4 सहायता के भुगतान में अनियमितता

छः राज्यों (असम, गुजरात, जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब, तमिलनाडु, एवं उत्तराखण्ड) के 16 चयनित जिलों में, 21,413 लाभार्थियों को ₹19.07 करोड़ की सहायता निर्धारित दरों से कम दरों पर की गयी थीं। राज्य-वार ब्यौरे **अनुबंध-5.10** में दिये गये हैं।

अभिलेखों के अनुसार, ₹47.00 लाख 131 लाभार्थियों को मणिपुर के सेनापति जिले में अदा किया गया दिखाया गया था। तथापि, संयुक्त प्रत्यक्ष निरीक्षण के दौरान यह देखा गया था। तथापि, संयुक्त प्रत्यक्ष निरीक्षण में यह देखा गया था कि इन लाभार्थियों को केवल ₹19.00 लाखमूल्य को ही सी.जी.आई चादरें दी गयी थीं। इसके अतिरिक्त, 89 लाभार्थियों द्वारा (जिलों के घरों के प्रत्यक्ष रूप से सत्यापन हुए थे) सात ब्लॉकों में प्राप्त की गयी राशिउनके लिए निर्गमित राशि से ₹14.67 लाख कम थी। मणिपुर के चार चयनित जिलों (चुरावंदपुर, पूर्वी इंफाल, सेनापति, थौबल) में 336 लाभार्थियों की उनकी पात्रता से ₹78.68 लाख अतिरिक्त रूप से अदा किया गया था।

उत्तर प्रदेश में लाभार्थियों की सहायता के भुगतान में अनियमितता

उत्तर प्रदेश में तीन चयनित जिलों (अमरोहा, बदायूं, देवरिया एवं गोडा) में 7,961 लाभार्थियों को 2008-13 के दौरान, कुल ₹22.34 करोड़ के व्यक्तिगत चैक जारी किये थे। बैंक खातों के ब्यौरों की अनुपलब्धता के कारण, लाभार्थियोंके खाते में वित्तीय सहायता के वास्तविक जमा को लेखापरीक्षा में निधारित नहीं किया जा सका।

5.17.5 नगद/धारक चैकों/सेल्फ चैक निर्माण समिति/सरपंचों के माध्यम से किये गये भुगतान

इं.आ.यो. दिशानिर्देशों के पैरा 4.10 के अनुसार, लाभार्थियों को सहायता किसी बैंक या डाक घर में उनके खाते में सीधे हस्तांतरित किये जाने चाहिए। हमने देखा कि पांच राज्यों (गुजरात, झारखंड, मणिपुर, मेघालय एवं पंजाब) के 12 चयनित जिलों में 8,964 लाभार्थियों को ₹28.97 करोड़ का भुगतान इं.आ.यो. दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए नकद/धारक चैक/सेल्फ चैकों में किया गया था। राज्य-वार ब्यौरे **अनुबंध-5.11** में दिये गये है।

इसमें से, पंजाब के तरन तारन के चयनित जिले तरन तारन ब्लॉक में लाभर्थियों को जारी ₹6.00 लाख मूल्य के 28 धारक चैक मार्च 2013 तक भुनाये नहीं गये थे।

इसके अतिरिक्त, असम[8] के छह चयनित जिलों तथा पंजाब[9] के 276 ग्रा.पं.में 23.28 करोड़ की सहायता पहले निर्माण समिति या सरपंचों को, लाभार्थियों को आगे भुगतान करने के लिए हस्तांतरित किया गया था। जो इं.आ.यो. दिशानिर्देशों के विरूद्ध था। ₹2.15करोड़ की निधियों के उपयोग से संबंधित अभिलेख असम में ब्लॉक एवं ग्रा.पं. स्तरों पर उपलब्ध नहीं थे। अभिलेख असम में, लेखा परीक्षा इं.आ.यो. के अंतर्गत निर्मित घरों पर निधियों के वास्तविक उपयोग का निर्धारण नहीं कर सका।

5.17.6 लाभार्थियों को दुहरा/अतिरिक्त भुगतान

तीन राज्यों (बिहार, जम्मू एवं कश्मीर तथा राजस्थान) के 11 चयनित जिलों में ₹7.16 करोड़ का दुहरा/अतिरिक्त भुगतान 3,833 लाभार्थियों को किया गया था। ब्यौरे **अनुबंध-5.12** में है।

---

[8] असम : दो चयनित जिलों के 48 ग्रा.पं. में ₹2.15 करोड़

[9] पंजाब : चार चयनित जिलों के 228 ग्रा.पं. में ₹21.13 करोड़

अनुशंसा:

- इं.आ.यो. के अंतर्गत घर के निर्माण/उन्नयन हेतु सहायता संस्वीकृति करने के पूर्व, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि लाभार्थी का बैंक खाता हो। दूसरी किस्त को संबंधित प्राधिकारियों से यथोचित सत्यापन प्रमाण-पत्र की प्राप्ति के पश्चात ही उनके बैंक खाते में जारी किया जाना चाहिए।